छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय रायपुर

रायपुर, दिनांक 30/01/2012

-: आदेश :-

क्रमांक/ 21 -/ब-2/वित्त/चार/2011:

नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (RIDF) से पोषित योजनाओं की समीक्षा हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक 20/बी-2/वित्त/चार दिनांक 27.03.2001 द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति (High Power Committee) में आंशिक संशोधन करते हुये RIDF एवं RIPF से पोषित योजनाओं की समीक्षा हेतु समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग - सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन विभाग एवं पदेन कृषि उत्पादन आयुक्त - सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग - सदस्य
6. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग - सदस्य
7. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, लोक निर्माण विभाग - सदस्य
8. प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग.शासन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग - सदस्य
9. सचिव, छ.ग.शासन, योजना विभाग - सदस्य
10. संयुक्त सचिव/उपसचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग - सदस्य सचिव

1. समिति प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगी, जिनके लिये नाबार्ड से RIDF अंतर्गत ऋण सहायता अथवा RIPF के अंतर्गत अनुदान प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हो । योजना से संबंधित प्रशासकीय विभाग समिति के समक्ष परिपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा समिति के चाहे अनुसार बैठक में योजना से संबंधित आवश्यक समस्त जानकारी प्रस्तुत करेंगे ।
2. समिति द्वारा योजना/परियोजना की आवश्यकता, उससे राज्य को होने वाले लाभ, उसकी लागत व आर्थिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता (Viability) आदि बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा।
3. समिति आवश्यकतानुसार नाबार्ड से RIDF अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की प्रगति, प्रतिपूर्ति भुगतान, आदि की समीक्षा करेगी ।

4. समिति नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के अधिकारियों को भी उक्त समीक्षा बैठक में आमंत्रित कर सकेगी ।

5. समिति की बैठक यथासंभव प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जावेगी । आवश्यकतानुसार तिथि के निर्धारण हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा समिति के सदस्य सचिव को प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा एवं सदस्य सचिव, मुख्य सचिव के अनुमोदन से बैठक आयोजित करवायेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

27/1/12

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

पृ.कमांक/22/ब-2/वित्त/चार, रायपुर, दिनांक 30/01/2012

प्रतिलिपिः-

1. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
2. सदस्य श्री.., प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ...विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
3. ~~समस्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।~~
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
6. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग